प्रेस नोट दिनांक-31.07.2025 जनपद प्रतापगढ़

जनपद प्रतापगढ़ में शस्त्र दुरुपयोग के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही – 02 अभियुक्तों के शस्त्र लाइसेंस तात्कालिक प्रभाव से निलंबित -

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी श्री शिव सहाय अवस्थी की कठोर कार्यवाही

जनपद में शांति व्यवस्था भंग करने वालों पर शिकंजा – पिस्टल व रायफल लाइसेंस निलंबित

DM PBH व SP PBH द्वारा जनपद में शांति व्यवस्था हेतु शस्त्र दुरुपयोग के प्रकरणों में 02 अभियुक्तों के शस्त्र लाइसेंस तात्कालिक प्रभाव से निलंबित किए गए हैं, ताकि भविष्य में किसी संज्ञेय अपराध की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

जनपद प्रतापगढ़ में शस्त्र का दुरुपयोग कर शांति व्यवस्था भंग करने एवं गंभीर अपराधों में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध चलाए जा रहे सतत अभियान के क्रम में 02 अभियुक्तों के विरुद्ध दो प्रकरणों में शस्त्र लाइसेंस तात्कालिक प्रभाव से निरस्त किए गए हैं।

प्रकरण 1 – सुशील सिंह पुत्र फतेह बहादुर सिंह निवासी ग्राम रामकोला, थाना पट्टी प्रतापगढ़
दिनांक 21.07.2025 को रजिस्ट्री कार्यालय पट्टी में बैनामा विवाद के दौरान अभियुक्त द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर जान से मारने की नीयत से पिस्टल से फायरिंग की गई, जिससे दो व्यक्तियों को गोली लगने से घायल होना पाया गया। इस संबंध में थाना पट्टी पर मु0अ0सं0 219/2025 धारा 3(5), 191(2), 191(3), 190, 115(2), 352, 351(3), 109(1), 140(2), 62 बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

प्रकरण 2 – अलीम खाँ उर्फ मोनू पुत्र लतीफ निवासी ग्राम आमामऊ ककरहा, थाना अन्तू प्रतापगढ़
दिनांक 17.06.2025 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के बिहारगंज में घटित विवाद के दौरान अभियुक्त द्वारा अपनी लाइसेंसी रायफल का दुरुपयोग कर फायरिंग की गई, जिससे दो व्यक्तियों को चोटें आईं। इस संबंध में मु0अ0सं0 269/2025 धारा 109(1), 110, 3(5), 351(2), 352 बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

दोनों अभियुक्तों द्वारा भविष्य में भी शस्त्र का दुरुपयोग कर संज्ञेय अपराध किए जाने की प्रबल संभावना को दृष्टिगत रखते हुए, पुलिस अधीक्षक जनपद प्रतापगढ़ द्वारा जिलाधिकारी प्रतापगढ़ को शस्त्र निरस्तीकरण हेतु संस्तुति प्रेषित की गई थी, जिस पर जिलाधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा दोनों अभियुक्तों के शस्त्र लाइसेंस को तात्कालिक प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।

1- सुशील कुमार सिंह पुत्र फतेह बहादुर सिंह निवासी ग्राम रामकोला(चरैया) थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 339/15 धारा 188 भादवि पट्टी जनपद प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0 251/23 धारा 419/420/386/506 भादवि पट्टी प्रतापगढ़।
3. मु0अ0सं0 247/2018 धारा 427 भादवि थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

4. मु0अ0सं0 219/25 धारा 3(5)/191(2)/191(3)/190/115(2)/352/351(3)/109(1)/140(2)/62 बीएनएस व 7 CLA Act थाना पट्टी प्रतापगढ़ ।

02- अलीम उर्फ मोनू s/o मो0 लतीफ निवासी ककरहा थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0-256/2024 धारा 323, 341, 427, 504, 506 भादवि थाना को0 नगर, प्रतापगढ़ ।
2. मु0अ0सं0- 269/2025 धारा 109(1), 110, 3(5), 351 (2), 352 बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट थाना को0 नगर प्रतापगढ़ ।

बयान- जनपद प्रतापगढ़ में कानून व्यवस्था बनाए रखने और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ की ओर से आम नागरिकों से अपील की जाती है कि लाइसेंसी शस्त्रों का उपयोग पूरी तरह जिम्मेदारीपूर्वक और विधिसम्मत तरीके से करें।

यह देखा गया है कि कुछ प्रकरणों में शस्त्रों का दुरुपयोग कर विवाद, भय फैलाने या गंभीर घटनाओं को अंजाम दिया गया है, जिससे न केवल शांति व्यवस्था प्रभावित होती है ऐसा करने वाले तत्वों के विरुद्ध सख़्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी साथ ही उनका शस्त्र लाइसेंस निरस्त कराया जाएगा।
जनपद प्रशासन आमजन से यह अपेक्षा करता है कि सभी शस्त्रधारी नागरिक नियमों का पालन करें और किसी भी स्थिति में शस्त्रों का अनुचित उपयोग न करें। शांति एवं सौहार्द बनाए रखना हम सबकी साझा जिम्मेदारी है।

थाना उदयपुर-
प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी
दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार
थाना उदयपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुस्तफाबाद तिराहे से आगे राहाटीकर वाली रोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 26.07.2025 को वादिनी की प्राप्त तहरीर के आधार पर दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट में थाना उदयपुर में धारा 364(2)M,65(1) बीएनएस व 5(J)(ii)/L/6 पाक्सो एक्ट व 3(2)V SC/ST ACT का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्यवेक्षण में थाना उदयपुर प्रभारी निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 कैलाश यादव मय हमराह का० आकाश सिंह, कां0 अनिल कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना उदयपुर मे पंजीकृत धारा 364(2)M,65(1) बीएनएस व 5(J)(ii)/L/6 पाक्सो एक्ट व 3(2)V SC/ST ACT से संबंधित वांछित अभियुक्त सीताराम गुप्ता उर्फ पंगुल पुत्र राम भरोस गुप्ता उम्र करीब 55 वर्ष निवासी ग्राम पूरे नोहर, राकी थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ को थानाक्षेत्र उदयपुर के मुस्तफाबाद तिराहे से आगे राहाटीकर वाली रोड़ के पास से को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. सीताराम गुप्ता उर्फ पंगुल पुत्र राम भरोस गुप्ता उम्र करीब 55 वर्ष निवासी ग्राम पूरे नोहर, राकी थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
1. थाना उदयपुर प्र0नि0 प्रदीप कुमार
2. उ0नि0 कैलाश यादव
3. का0 आकाश सिंह
4. का0 अनिल कुमार

थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना लीलापुर के उ0नि0 श्री गिरीशधर दुबे मय हमराह हे0 का0 अमित कुमार के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान केश न0 519/2020 धारा 128 सीआरपीसी थाना अन्तू प्रतापगढ़ से सम्बन्धित वारंटी अभियुक्त विपिन पाण्डेय उर्फ राजू पुत्र रमाकान्त निवासी ग्राम पूरेझाऊ थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र लीलापुर के साहबगंज मोे़ड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. विपिन पाण्डेय उर्फ राजू पुत्र रमाकान्त निवासी ग्राम पूरेझाऊ थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
उ0नि0 गिरीशधर दुबे मय हमराह हे0का0 अमित कुमार थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

अपहरण, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

थाना पट्टी पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत कमला गोविन्द प्रसाद जूनियर हाई स्कूल जहानाबाद के पास से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना पट्टी प्रभारी निरीक्षक श्री अभिषेक सिरोही के नेतृत्व में थाना पट्टी के उ0नि0 अरविन्द कुशवाहा मय हमराह का० कृष्ण विहारी राय द्वारा देखभाल क्षेत्र/संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 137 (2)/64(1)/87 BNS व 5/6 पाक्सो एक्ट से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त विनोद चौहान उर्फ लालमणि चौहन पुत्र स्व० प्रेमचन्द्र चौहान नि0 ग्राम नोही थाना कोतवाली पट्टी जनपद प्रतापगढ़ को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत कमला गोविन्द प्रसाद जूनियर हाई स्कूल जहानाबाद के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. विनोद चौहान उर्फ लालमणि चौहन पुत्र स्व० प्रेमचन्द्र चौहान नि0 ग्राम नोही थाना कोतवाली पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 अरविन्द कुशवाहा मय हमराह का० कृष्ण विहारी राय थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।